लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651

ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रं./विद्या/बी/25/2009/517 भोपाल दिनांक 19/06/2009

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– कम परीक्षा परिणाम वाले हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के विषय शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत शिक्षण सत्र 2008–09 का हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल का परीक्षा परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं रहा है। इस संबंध में शून्य से 30 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले संस्था के प्राचार्यों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र तथा चरित्रावली चेतावनी पत्र आदि जारी किये गये हैं।

यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कार्यरत विभिन्न विषयों के व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक/अध्यापक/संविदा शिक्षक आदि के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जायेः–

(क) शून्य से 10 प्रतिशत तक परीक्षा परिणाम होने पर

दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण लिया जाये तथा समाधानकारक जबाव नहीं होने पर दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही की जाये।

(ख) 10 से 20 प्रतिशत तक परीक्षा परिणाम होने पर

एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण लिया जाये तथा समाधानकारक जबाव नहीं होने पर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही की जाये।

(ग) 20 से 30 प्रतिशत तक परीक्षा परिणाम होने पर

चारित्रिक चेतावनी दिये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावे तथा समाधानकारक जबाव नहीं होने पर चारित्रिक चेतावनी दिये जाने की कार्यवाही की जाये।

2/ इस प्रकार आपके जिले में जिन विषय शिक्षकों का परीक्षाफल उक्तानुसार हो, उन्हें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये तथा समाधानकारक उत्तर न होने की स्थिति में शास्ति अधिरोपित की जाये।

3/ जहां पर वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक तथा संविदा शिक्षक आदि कार्यरत हैं ऐसे प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित निकाय के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्कूल शिक्षा तथा जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा के रूप में उक्तानुसार कारण बताओ सूचना पत्र तथा चरित्रावली चेतावनी पत्र जारी करेंगे, स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे तथा समाधान कारक जबाव न होने पर उक्तानुसार शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे।

उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के प्रशासकीय तथा अनुशासनिक नियंत्रण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्कूल शिक्षा के रूप में अनुशासनात्मक प्राधिकारी घोषित किया गया है। एतद् विषयक आदेश मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2008 के नियम 8 (क) तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2008 के नियम 8 (क) में घोषित किये गये हैं। इसका खुलासा लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रं. शिक्षाकर्मी/बी/102 भोपाल, दिनांक 26.03.2009 में भी किया गया है।

4/ जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग पदेन् अपर संचालक लोक शिक्षण घोषित है। अतः जिन संवर्गों/पदों में (व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मा.वि.) आदि के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम नही है। ऐसे व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मा.वि. के विरूद्ध बिन्दु एक क, ख, ग में वर्णित कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र तथा चरित्रावली चेतावनी पत्र संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण के हस्ताक्षर से जारी किया जाये तथा समाधान कारक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उन्हीं के हस्ताक्षर से उक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जाए।

जिला अंतर्गत उक्तानुसार आदेशों की समय सीमा में तामीली करायें तथा पालन प्रतिवेदन अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से एक माह के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करें।

(बी.आर. नायडू)
आयुक्त, लोक शिक्षण तथा
सचिव स्कूल शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश

पृ. क्रं./विद्या /2009/518 भोपाल दिनांक 19/06/2009

प्रतिलिपि :–

01. विशेष सहायक, मान. मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश।

02 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

03 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स भोपाल।

04 समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश

05 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण म.प्र. की ओर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

06 संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

आयुक्त, लोक शिक्षण तथा
सचिव स्कूल शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश